न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 111/2025 निर्णय दिनांक :– 28/8/2025

1. रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह उम्र 90 वर्ष जाति पुरोहित निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान,

– वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

प्रतिवादी

1 काशीराम पुत्र मालसिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. दीलिप सिंह पुत्र मालसिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. पदम पुत्र जगदीश जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. प्रहलाद सिंह पुत्र मालसिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. पाना देवी पत्नी डूंगरराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील जिला बीकानेर
6. भोपाल सिंह पुत्र चेतन जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. मांगी पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. रामी कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. विक्रम पुत्र जगदीश सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. संगीता पुत्री जगदीश सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
12. सन्जु पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
13. संतोष देवी पत्नी जगदीश सिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

गौण–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

न्यायालय ... बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. एडवोकेट गौतम कुमार पंवार वास्ते गौण–प्रतिवादीगण 2, 4, 8 व 10
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 1

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं गौण–प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 के संयुक्त खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 36 तथा खसरा नम्बर 25 तादादी 3.8571 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1/7 हिस्सा भूमि खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त खेत खसरा की भूमि के खातेदारी रिकॉर्ड में विरासतन नामांतरकरण दर्ज करते वक्त भूलवश वादीनी का बोलता नाम भीखी पत्नी हरिसिंह जाति पुरोहित निवासी बीदासर अंकित कर दिया गया था जबकि वादीनी का सही एवं दस्तावेजी नाम रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह जाति पुरोहित निवासीनी कस्बा बीदासर है। वादीनी का सही एवं रिकॉर्डेड नाम रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह जाति पुरोहित निवासीनी कस्बा बीदासर है। वादीनी के समस्त दस्तावेजात यथा – आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेंशन पीपीओ में वादीनी का नाम रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह जाति पुरोहित निवासीनी कस्बा बीदासर अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का गलत चला आ रहा नाम भीखी पत्नी हरिसिंह अंकित होने के कारण समस्त प्रकार के दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण वादीनी प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रही है, वादीनी का राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित चले आ रहे नाम भीखी देवी पत्नी हरिसिंह की जगह वादीनी का शुद्ध एवं सही दस्तावेजी नाम रूकमा देवी पत्नी हरिसिंह अंकित किया जाये ताकि वादीनी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही हो सके और उसे सरकारी अनुदान व लाभ प्राप्त हो सके और वादीनी राजकीय लाभांश से वंचित नही रहे। राजकीय अनुदान प्राप्त करने के वास्ते, वादीनी के खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने के वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेंशन पीपीओ आदि से मिलान नहीं होने के कारण वादीनी राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीनी के दस्तावेजों में नाम भिन्न होने के कारण वादीनी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादीनी के पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पत्ति है तथा विरासतन नामांतरण दर्ज करते समय वादीनी का नाम भीखी पत्नी हरिसिंह अंकित हो गया जबकि वादीनी का सही एवं दस्तावेजी नाम रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह अंकित होने से रह गया जो कि राजस्व कर्मचारी की भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ है तथा वादीनी उक्त खाता खसरा की भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होने की हैसियत से रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। वादीनी वादगत खाता संख्या नया 36 तथा खसरा नम्बर 25 तादादी 3.8571 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर की खातेदार कृषक है इसलिए वादीनी को इस वाद–पत्र को प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। वाद–पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर पेश है व इस राजस्व वाद–पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

श्रीमान् जी के न्यायालय को प्राप्त है, आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व गौण–प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। गौण–प्रतिवादीगण संख्या 02, 04, 08 व 10 की ओर से एडवोकेट गौतम कुमार पंवार ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा व ईकबालिया जवाब पेश कर वाद–पत्र में वर्णितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें वादीनी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। वादीनी ने न्यायालय के समक्ष अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेंशन पीपीओ इत्यादि आदि में वादीनी का नाम रूकमा देवी पत्नी हरीसिंह अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम भीखी पत्नी हरिसिंह अंकित है। हमनें पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील वादीनी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धि से सम्बन्धित है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेंशन पीपीओ आदि में वादीनी का नाम रूकमा देवी पत्नी हरी सिंह अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम भीखी पत्नी हरिसिंह अंकित है, जिसको वादीनी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर खाता संख्या नया 36 तथा खसरा नम्बर 25 तादादी 3.8571 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम भीखी को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादीनी का दस्तावेजी शुद्ध एंव सही नाम रूकमा देवी पत्नी हरीसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को भेजा जावे। निर्णय आज दिनांक 28/8/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर